प्रकरण संख्या UD-V 3/2017 सरदारसिंह बनाम रामलाल

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.01.2023	पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 21 नियम 19 जा. दी. पेश हुई। अपीलान्ट/प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने वक्त बहस निवेदन किया कि उक्त मामले में पेशी दिनांक 04.01.2017 वास्ते तामिल प्रत्यर्थीगण नियत थी तथा उक्त दिनांक को अपीलान्ट के अधिवक्ता एवं अपीलान्ट की अनुपस्थिति के कारण पत्रावली अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर दी गयी, जिसे पुनः नम्बर पर लिया जाना आवश्यक है, क्योंकि अपीलान्ट के अधिवक्ता ने सहवन से पेशी दिनांक 04.01.2017 के स्थान पर दिनांक 11.01.2017 नोट कर ली एवं दिनांक 11.01.2017 को उपस्थित होने पर ज्ञात हुआ कि प्रकरण दिनांक 04.01.2017 को ही अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज हो चुका है। अपीलान्ट की अनुपस्थिति का पर्याप्त कारण है, जानबूझकर कर अनुपस्थित नहीं रहे हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण पुनः नम्बर पर लिये जाने का आदेश फरमाया जावे। रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने उक्त प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया। हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया। न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 04.01.2017 को प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज में खारिज किया गया है, जिसे पुनः नम्बर पर लेने का प्रार्थना पत्र वकील अपीलान्ट द्वारा दिनांक 23.01.2017 को अन्दर अवधि प्रस्तुत कर दिया गया है, जिससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट अपने प्रकरण में प्रति लापरवाह नहीं है एवं उनकी अनुपस्थिति का जो कारण बताया गया है, वह उचित प्रतीत होता है। अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 21 नियम 19 जा.दी. स्वीकार किया जाकर अपील पुनः नंबर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते हैं। वकील अपीलान्ट द्वारा संशोधित टाईटल पेश किया गया जो शामिल पत्रावली रहे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे। Signature Not Verified Digitally signed by Anita Meena Date: 2023.02.09 13:11:48 IST Reason: SelfAttested (अनीता मीना) प्रबन्ध अधिकारी एव[illegible]न राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर	